299

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकफा.15(94)सविरा/बैंक–1/एकमुश्त समझौता/2011पार्ट–1 दिनांकः 19/07/22

प्रबंध संचालक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अरबन को–आपरेटिव बैंक लि0,.......................................(समस्त)

विषयः– एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019
प्रसंगः– दी राज. अरबन को–आपरेटिव बैंक्स फेडेरेशन लि0 जयपुर का पत्र क्रमांक फा.8 (10) RUCBF/95 दिनांक 07.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत अरबन को–आपरेटिव बैंक्स/नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में से अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में वगीकृत ऋणों की वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने एवं गैर निष्पादित अस्तियों के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से दिनांक 05.07.2019 को एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019 जारी की गई थी। जिसे पूर्व में दिनांक 30.06.2022 तक बढाया गया था। दी राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लि0 द्वारा प्रासंगिक पत्र से योजना की अवधि 31.03.2023 तक बढाने की मांग की गई है। निर्देशानुसार योजना की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की समस्त शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।

(ओम प्रकाश)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग)

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ........................(समस्त)
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ,..........................(समस्त)
3. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियॉ,.....................(समस्त)
4. विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियॉ...........................(समस्त)
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दी राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लि0, जयपुर।
6. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग)